न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:– 55 / 2015
जी.सी.एम.एस नं.– 2015 / 00186

1. सुखचैनसिंह पुत्री करनैलसिंह जाति मजबी निवासी चक 21 एस जे एम खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. पालसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति मजबी निवासी चक 21 एस जे एम खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तरसेमसिंह पुत्री वीरपालकौर
4. प्रंचल पुत्री वीरपाल कौर

जरिए वाद मित्र एवं सरक्षक सुखचैनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति मजबी निवासी चक 21 एस जे एम खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———वादीगण

बनाम्

1. परमजीतकौर उर्फ जसवीरकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नी वीरसिंह जाति मजबी निवासी चक 3 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. बलदेवकौर उर्फ मनजीतकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नी तेजसिंह जाति मजबी निवासी भलाईआना तहसील गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. नसीबकौर पत्नी करनैलसिंह जाति मजबी निवासी चक 21 एस जे एम खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 व 2 की ओर से
3. श्री बलदेवसिंह भगू प्रतिवादी सं.–3 की ओर से

–:: निर्णय ::– **दिनांक:–** 22/1/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 21 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर नं.–305 / 376 का किला नं.–1 ता 25 कुल 6.199 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि का वादीगण को मूल खातेदार करनैजसिंह द्वारा किये गये पारिवारिक समझौता के आधार पर खातेदार कृषक घोषित कि[illegible] कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का आदे[illegible] सं.–4 को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी [illegible] किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.–1 व [illegible] सिंह एडवोकेट व प्रतिवादी सं.–3 की तरफ से श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है तथा हम प्रतिवादीगण का उक्त कुल कृषि भूमि में 2/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है तथा हम प्रतिवादीगण के 2/6 हिस्सा की हद तक कृषि भूमि में वादीगण का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं बनता। इसलिए वादीगण हम प्रतिवादीगण के हिस्सा की हद तक खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नही कर सकते। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। वादीगण द्वारा तथाकथित पारिवारिक समझौता के आधार पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि हम प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी अपने हिस्सा की हद तक वादीगण को कोई पारिवारिक समझौता का दस्तावेज निष्पादित नहीं किया और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत है चूकिं प्रश्नगत भूमि हम प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण किसी प्रकार का हित व अधिकार नही रखते ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है जो काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाबं प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र में वादीगण का वाद पत्र सी शेष विधी सम्मत वाद पत्र पेश किया गया है जो किसी भी दृष्टिकोण से निरस्त होने नही है सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्य आने पर ही तय हो सकेगे ऐसी स्थिती में प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण का निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण/प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.–1 व 2 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि इस प्रकार का वाद कोई भी बंटवारे का दस्तावेज विधिवत निष्पादित होकर सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होना आवश्यक है अथवा सक्षम न्यायालय से बंटवारा की डिक्री प्राप्त की जानी आवश्यक है लेकिन वादी ने कथित घरेलू बंटवारा किस विधि व किस कानून के तहत लिखा गया के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए है वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 व 2 ने विवादित कृषि भूमि मे ऐसा कोई कथित घरेलू बंटवारा का लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादीगण ने अपने वाद [illegible] कथित घरेलू बंटवारा कब, किस दिनांक, सन को किन पक्षकारो के मध्य नि[illegible]दत [illegible] गया और ना ही वादीगण ने यह कथन किया है। कि घरेलू बंटवारे में किस पक्षकार [illegible] वादीगण को किला नम्बर का कब्जा दिया गया है जबकि वादीगण का कथित [illegible] पर कब्जा नहीं बताया है। वादीगण का हस्तगत वाद पूर्णतया Frivolous Vexatious एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.–1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं.—1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 22/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested